II – 157
C. J.

Witness No ..... 01 ..... for ..... अनावेदक साक्षी ..... Deposition taken the .....17/08/2026 ..... day of ... सोमवार ..... Witness's apparent age ....37 वर्ष ..... States on affirmation ..... शपथपूर्वक ..... my name is .....संजय कुमार सूर्यवंशी ..... Son of .....श्री प्रहलाद प्रसाद ..... occupation ..... शासकीय नौकरी ..... address ... ग्राम पुटपुरा थाना जांजगीर , जिला जांजगीर–चांपा (छ०ग०) .....

समयः 01.36 बजे–

टीप– मेरे द्वारा दिनांक 23.07.2026 को आदेश 18, नियम 04 व्य.प्र.सं. के तहत अपना शपथ पत्रीय कथन प्रस्तुत किया गया था जिसमें 01 से 13 तक कंडिका हैं । मैंने अपने प्रकरण के समर्थन में माननीय श्रीमती गीता नेवारे न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जिला जशपुर का व्यवहार वाद क्रमांक 11अ/2024 के आदेश दिनांक 01.03.2024 के मूल प्रति (प्र.डी–01), व्यवहार वाद क्रमांक 50ए/2023 आदेश दिनांक 28.08.2023 की मूल प्रति (प्र.डी.–2) तथा मेरे द्वारा आवेदिका के मोबाईल में आये फोटो की मूल प्रति (प्र.डी–3 से 7 तक) एवं मैने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को दिये आवेदन एवं आदेश की छायाप्रति तथा मेरे बच्चे के ईलाज की पर्ची की छायाप्रति तथा चौकी नैला में दिये आवेदन पत्र एवं परिवार परामर्श केन्द में हुए सुलह की छाया प्रति प्रस्तुत किया हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुखनंदन प्रसाद राठौर अधिवक्ता वास्ते आवेदिका</u>

14– मेरा एवं आवेदिका प्रिया का विवाह दिनांक 11.12.2018 को ग्राम शिवनी में हुई थी। दोनों का विवाह परिवार के सहमति से हुआ था । विवाह के बाद घर के दो दिन रूकने के बाद वापस अपने मायके चले गयी थी । दिनांक 18.12.2018 को गवना कराकर ग्राम पुटपुरा लाये थे । पुटपुरा आने के बाद हम दोनों एक साथ तीन दिन रूके थे । ग्राम पुटपुरा में हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ थे ।

15– यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आवेदिका को एक माह बाद अपने कर्तव्य स्थल कुनकुरी लेकर गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि मैं दिनांक 20.12.2018 को आवेदिका के पिता एवं उसके भाई के साथ कुनकुरी लेकर गया था। यह कहना गलत है कि ग्राम पुटपुरा में रहने के दौरान हमारे द्वारा आवेदिका को दहेज में कम सामान लायी हो कहकर प्रताडित करना शुरू कर दिये। यह कहना गलत है कि कुनकुरी में रहने के दौरान आवेदिका को शादी में कम दहेज लाये हो कह कर अपने पिता से एक लाख रूपये लेकर आओ कहकर प्रताडित करते थे।

16– यह कहना सही है कि मैं और आवेदिका कुनकुरी में दिनांक 20.12.2018 से वर्ष 2021 तक निवासरत थे । यह कहना सही है कि मुझे कुनकुरी में शासकीय आवास मिला था । साक्षी का स्वतः कथन है कि न्यायिक कर्मचारी अधिकारी भी आवासीय परिसर में रहते थे जहां सभी का मकान लगा हुआ था।

17– आवेदिका किसे पसंद करती थी आज मैं नहीं बता सकता। साक्षी का स्वतः कथन है कि आवेदिका बार–बार मायके जाने का जिद करती थी। यह कहना गलत है कि आवेदिका मायके जाने का जिद नहीं करती थी बल्कि मेरे द्वारा शराब पीकर आकर मारपीट करता था और घर से निकाल देता था। यह कहना गलत है कि आवेदिका के मेरे साथ रहने के दौरान उसके फोन को कार्य के आने के बाद चेक करता था । यह कहना गलत है कि प्र०डी–03 से प्र०डी–07 तक के फोटो को अनावेदक के द्वारा आवेदिका के मोबाईल से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भेजवाया था।

18– यह कहना गलत है कि आवेदिका के मोबाईल में उक्त् फोटो आने के बाद आवेदिका ने आपको शिकायत करने के लिए बोला था। साक्षी का स्वतः कथन है कि अनावेदक के द्वारा स्वयं थाना बगीचा जाकर उक्त फोटो के संबंध में जांच करने हेतु आवेदन दिया था। यह कहना गलत है कि आवेदिका उक्त शिकायत के संबंध में जांच कराने हेतु कई बार अनावेदक को बोली लेकिन जांच नहीं कराये।

<u>टीप– चाय काल होने से शेष प्रतिपरीक्षण चाय काल पश्चात तक स्थगित किया जाता है ।</u>

समयः 02.00 बजे

सही/–

(अंजू कंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

सही/–

(अंजू कंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

साक्षी का हस्ताक्षर ... ...

समय– 03.00 बजे

<u>टीप– चाय काल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलायी जाकर साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।</u>

19– मैं ग्राम कुनकुरी में न्यायालय विभाग में पदस्थ था । आवेदिका के साथ मैं कुनकुरी में 2018 से जुलाई 2021 तक निवासरत था । यह कहना सही है कि आवेदिका गर्भ में थी तो डिलवरी के समय अपने पापा के साथ अपने मायके ग्राम सिवनी आ गयी थी । यह कहना सही है कि आवेदिका की डिलवरी चांपा के अस्पताल में हुयी थी । यह कहना गलत है कि डिलवरी के अस्पताल का खर्च आवेदिका के पिता के द्वारा दिया गया था ।

20– 22 अक्टूबर 2019 को बच्ची का जन्म हुआ उसके बाद आवेदिका अपने मायके में जनवरी 2020 तक रही । यह कहना सही है कि आवेदिका को उसके मायके लेने आया था तो 2020 में मेरे साथ कुनकुरी गयी थी । यह कहना सही है कि आवेदिका एवं अनावेदक कुनकुरी में 2021 तक साथ में रहे । जुलाई 2021 में बगीचा न्यायालय में स्थानांतरण हुआ था तो वहां साथ में रह रहे थे । यह कहना सही है कि बच्ची का तबीयत खराब होने पर उसके ईलाज हेतु अंबिकापुर के परमार अस्पताल लेकर गये थे । यह कहना सही है कि बच्ची के तबीयत ठीक नहीं होने पर रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल लेकर गये थे ।

21– यह कहना सही है कि रायपुर से ईलाज कराने के बाद आवेदका अपने मायके में ही रूक गयी थी । यह कहना सही है कि आवेदिका अपने मायके में रूककर डा. प्रसाद क्लीनिक जांजगीर में ईलाज करा रही थी । यह कहना सही है कि 2022 से आवेदिका अपने मायके में रूकने के

बाद मेरे साथ नहीं गयी और अपने मायके में रह रही है । यह कहना गलत है कि बच्ची के ईलाज खर्च हेतु , आवेदिका के पिता के द्वारा दिया जाता था । यह कहना सही है कि आवेदिका को लेने के लिए मैं उनके गांव सिवनी गया था । यह कहना सही है कि मैं अपने परिवार के साथ आवेदिका को लेने गया था । यह कहना गलत है कि बैठक के दौरान मेरे द्वारा विवाद कर बैठक से चला गया और चौकी नैला में झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया था ।

22– यह कहना सही है कि बच्ची के भरण पोषण हेतु 5000/–रूपये दे रहा था किंतु वर्तमान में आवेदिका को कोई भरण पोषण की राशि नहीं दे रहा हूं । यह कहना गलत है कि अनावेदक का दूसरी लड़की से गलत संबंध है इस कारण आवेदिका को पसंद नहीं करता था । यह कहना गलत है कि आवेदिका पर शक करके, शराब पीकर आकर गाली गलौच एवं मारपीट करता था । वर्तमान में मैं शासकीय सेवक के पद पर पदस्थ हूं एवं मुझे प्रतिमाह लगभग 40 हजार रूपये सैलरी मिलता है । यह कहना गलत है कि अनावेदक की माता पिता भी कुनकुरी एवं बगीचा में जाकर आवेदिका को दहेज के नाम से हमेशा प्रताडित करते थे । यह कहना गलत है कि आवेदिका को दहेज के नाम से प्रताडित कर रहे थे इसलिए आवेदिका अपने मायके में रह रही है । साक्षी स्वतः कहा कि बच्चे के ईलाज कराने गयी थी उसी समय से अपने मायके में रूकी हुयी है ।

समयः 03.20 बजे

साक्षी को पढकर सुनाया, समझाया गया
सही होना स्वीकार किया गया ।

सही/–

(अंजू कंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही/–

(अंजू कंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

साक्षी का हस्ताक्षर.....